प्रेषक,

उमा कान्त मिश्र,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-**4** लखनऊः दिनांक 02 मार्च, 2016

विषयः- इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-13 में वित्तीय वर्ष-2015-16 में प्राप्त केन्द्राश के सापेक्ष समतुल्य अवशेष मैचिंग राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में(60 के0 प्रतिशत-40 रा0 प्रतिशत)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-25/2015/981/38-4-15-22(बजट)/2014, दिनांक-29-07-2015 के द्वारा (के0-75 रा0-25) रू0 32724.98670 लाख एवं शासनादेश संख्या-35/2015/1267/38-4-15-22(बजट)/2014, दिनांक-01-12-2015 के द्वारा (के0-50 रा0-50) रू0-13542.84800 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है, के क्रम में तथा आपने पत्र संख्या-449/सम्प्रेक्षा/इ0आ0यो0/2016, दिनांक-29 जनवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष-2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 में प्राविधानित धनराशि रू0-1190.1940 करोड़ में अवशेष धनराशि में से आपके पत्र सं0-449/सम्प्रेक्षा/इं0आ0यो0/2015-16, दिनांक-29-01-2016 के द्वारा इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत संशोधित फण्डिंग पैटर्न (के0-60 रा0-40) के अनुसार अवशेष राज्यांश की धनराशि रू0-5924.10530 लाख (रूपये उनसठ करोड़ चौबीस लाख दस हजार पॉच सौ तीस मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(1)- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर खातों में जमा नहीं किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का संग्रहण/व्यय आदि के सम्बन्ध में इन्दिरा आवास योजना के दिशा-निर्देश के प्राविधानों के तहत वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक-21-03-2012 में निर्दिष्ट व्यवस्थानुसार कार्यवाही/व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा धनराशि आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 में रखी जाये।

(3)- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को नये इन्दिरा आवासों/कच्चे आवासों को पक्का आवासों के उच्चीकृत/ निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(5)- इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6)- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

(7)- इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-8/2015-बी-1-4058/दस-2015-13/2015, दिनांक-09-11-2015 में दी गयी व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-02-इन्दिरा आवास योजना(जिला योजना)-0201-इन्दिरा आवास योजना(जिला योजना) (के.75/रा.25-के+रा) 24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-215/दस-2016, दिनाक-02 मार्,2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-**3**/2016/203(1)/38-4-2016, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी।
3- अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
10- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
11- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
12- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।